



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 296 राँची, बुधवार, 13 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
3 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

20 मई, 2026

आदेश सं०-03/आरोप-11-56/2025 का०-3038--श्री गणेश रजक, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-614/20, गृह जिलाहजारीबाग), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह सदर के विरुद्ध उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह के पत्रांक-2748, दिनांक 14.10.2025 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाती है ।

इनकी अकर्मण्यता के कारण इनके प्रखण्ड के ग्राम पंचायतों यथा-पाण्डेयडीह/मंगरोडीह, जीतपुर, जसपुर, खावा एवं पुरनानगर में आमजनों से हमेशा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। शिकायतों के निवारण तथा उनकी संख्या में कमी की दिशा में इनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक है। इनका कृत्य बिहार/झारखण्ड आचार नियमावली के नियम-3 के सर्वथा प्रतिकूल है ।

2. उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक-118, दिनांक 07.01.2026 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से श्री रजक के विरुद्ध यदि आरोप स्पष्ट हो तो आरोपों को विहित प्रपत्र में आरोप पत्र की माँग की गई ।

3. उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-192/स्था०, दिनांक 24.03.2026 द्वारा श्री गणेश रजक, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रजक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह पर लगाये गये आरोपों की जाँच भूमि सुधार उप समाहर्ता गिरिडीह द्वारा कराया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता गिरिडीह के पत्रांक-109/भू०सु०, दिनांक 14.03.2026 द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर आरोप की पुष्टि नहीं होती है ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा मंतव्य में उल्लेख किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह (सदर) द्वारा मनरेगा योजनाओं में पायी गयी अनियमितताओं एवं विभागीय पत्र/परिवाद पत्र के आलोक में राशि वसूली की कार्रवाई की गई है तथा मनरेगा से संबंधित भंडारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं विभागीय पत्रों का ससमय अनुपालन करने का प्रयास किया गया है। अतः श्री गणेश रजक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध आरोप की पुष्टि नहीं होती है ।

4. अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदन के आलोक में श्री गणेश रजक, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-614/20, गृह जिला-हजारीबाग), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह सदर से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।
